न्यूज़ टुडे

राज्य सभा में एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने के प्रस्ताव का नोटिस दिया गया

इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश के खिलाफ पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया।

- पद से हटाने संबंधी प्रक्रिया का उद्देश्य **जवाबदेही सुनिश्चित करना** और **न्यायिक सत्यनिष्ठा को बनाए** रखना है।
- **आजादी के बाद से छह बार** न्यायाधीशों के खिलाफ पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव लाए गए थे, लेकिन कोई भी पारित नहीं हुआ था।

न्यायाधीशों को पद से हटाने से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 124(4):** यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने का प्रावधान करता है।
  - **अनुच्छेद 218:** इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की समान प्रक्रिया और आधार पर पद से हटाने का प्रावधान किया गया है।
- **आधार:** साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर। हालांकि, इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है।
- **प्रक्रिया:** यह **न्यायाधीश जांच अधिनियम (1968) द्वारा विनियमित** होती है।

पद से हटाने संबंधी प्रक्रिया के चरण

- **आरंभ:** प्रस्ताव पर कम-से-कम **100 लोक सभा सदस्यों या 50 राज्य सभा सदस्यों के हस्ताक्षर** होने चाहिए।
  - प्रस्ताव संबंधित सदन के **पीठासीन अधिकारी** को सौंपा जाता है।
- **जांच: यह आगे निम्नलिखित तीन सदस्यीय समिति को भेजा जाता है:**
  - भारत का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश,
  - हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और
  - एक प्रतिष्ठित न्यायविद।
    - समिति आरोपों की जांच करती है और अपने निष्कर्षों एवं टिप्पणियों के साथ रिपोर्ट **अध्यक्ष/ सभापति** को सौंपती है। इसके बाद अध्यक्ष/ सभापति रिपोर्ट को **लोक सभा/ राज्य सभा के समक्ष** रखते हैं।
      - » यदि समिति न्यायाधीश को दोषी पाती है, तो उसकी रिपोर्ट को **उस सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है,** जहां इसे पेश किया गया था।
- **संसदीय अनुमोदन:** इसके लिए प्रस्ताव को **विशेष बहुमत से संसद के दोनों सदनों** से पास होना अनिवार्य है।
  - **विशेष बहुमत:** उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत और कुल सदस्य संख्या का बहुमत।
- **राष्ट्रपति द्वारा कार्रवाई:** यदि दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, तो प्रस्ताव अंतिम अनुमोदन के लिए **राष्ट्रपति के पास भेजा** जाता है।

संसदीय समिति ने मनरेगा में समस्याओं को उजागर करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसद की स्थायी समिति ने मनरेगा से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में **राज्यों में कम मजदूरी और मजदूरी दर में असमानता** संबंधी मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही, मनरेगा में सुधारों से संबंधित सुझाव भी दिए गए हैं।

मनरेगा से संबंधित अन्य मुद्दे

- **भुगतान संबंधी मुद्दे:** इसमें भुगतान में देरी तथा राज्यों द्वारा बेरोजगारी भत्ता और विलंब संबंधी मुआवजा न देना शामिल है।
- **प्रौद्योगिकी को अपनाना:** इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन की आवश्यकता आदि से संबंधित मुद्दों के कारण लाभार्थी वंचित रह जाते हैं।
- **सोशल ऑडिट:** ग्राम सभाओं द्वारा सोशल ऑडिट के संचालन में अनियमितताएं देखी गई हैं। उदाहरण के लिए, 2020-21 में केवल 14% ग्राम पंचायतों में विकास योजनाओं का ऑडिट किया गया था।

समिति की मुख्य सिफारिशें

- **मजदूरी दर में संशोधन:** मजदूरी दर को बढ़ती मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिए।
- **मजदूरी में समानता:** मनरेगा लाभार्थियों को **सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में समानता के आधार पर मजदूरी का भुगतान** किया जाना चाहिए। यह संविधान के **अनुच्छेद 39(d) (राज्य की नीति के निदेशक तत्व)** के अनुपालन में होना चाहिए।
  - **अनुच्छेद 39(d)** में पुरुष और महिला दोनों के लिए **समान कार्य हेतु समान वेतन** का प्रावधान किया गया है।
- **मजबूत वित्तीय प्रबंधन:** वेतन और सामग्री संबंधी घटकों के लंबित मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाया जाना चाहिए।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के बारे में

- **मंत्रालय:** ग्रामीण विकास मंत्रालय।
- **प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना।
- **उद्देश्य:** यह योजना **एक वित्तीय वर्ष में उस ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी** देती है, जिसका वयस्क सदस्य स्वेच्छा से **अकुशल शारीरिक श्रम** करने का इच्छुक होता है।
- **कवरेज:** 100% शहरी आबादी वाले जिलों को छोड़कर संपूर्ण देश।

- **कार्य के गारंटीकृत दिनों में वृद्धि करना:** कार्य की मांग को पूरा करने के साथ-साथ संधारणीय परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कार्य के गारंटीकृत दिनों को **100 से बढ़ाकर 150 दिवस** किया जाना चाहिए।

FAO ने 'लवण प्रभावित मृदा की वैश्विक स्थिति' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की

यह रिपोर्ट **संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO)** द्वारा विगत 50 वर्षों में लवण-प्रभावित मृदा (Salt-Affected Soils) की स्थिति का पहला बड़ा वैश्विक आकलन है।

- लवण प्रभावित मृदा में या तो **घुलनशील लवण यानी सैलाइन सॉइल या एक्सचेंजेबल सोडियम आयन यानी सोडिक सॉइल की उच्च मात्रा** होती है।
- इनकी उच्च मात्रा **मृदा की उर्वरता और पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव** डालती है।
- **लवणीय मृदा की मात्रा को विद्युत चालकता के आधार पर मापा** जाता है। जितनी अधिक विद्युत चालकता होगी, मृदा में लवण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी।

मृदा के लवणीकरण और सोडिफिकेशन को बढ़ाने वाले कारक

- **मानव-जनित कारक:**
  - **कृषि पद्धतियों में दक्षता की कमी:** इसके उदाहरण हैं- उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, सिंचाई के लिए खराब गुणवत्ता वाले जल का उपयोग, सिंचाई के लिए जलभृतों (Aquifers) का अत्यधिक दोहन, समुचित जल निकासी प्रणाली का अभाव आदि।
  - **वनों की कटाई:** गहरी जड़ों वाली वनस्पतियों को काटने से मृदा में लवण की मात्रा बढ़ती है। यह वास्तव में **शुष्क भूमि में लवणीकरण का उदाहरण** है।
  - **अन्य कारक:** तटीय और आंतरिक क्षेत्रों में अत्यधिक जल पंप करना, खनन गतिविधियां आदि भी मृदा में लवण की मात्रा बढ़ाती हैं।
- **प्राकृतिक कारक:** जलवायु संकट से **शुष्कता का बढ़ना; पर्माफ्रॉस्ट पिघलना** जैसे कारक भी मृदा की लवणता को बढ़ा रहे हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **विश्व में मृदा लवणीकरण**
  - **कवरेज:** विश्व में लगभग **1.4 बिलियन हेक्टेयर भूमि** यानी विश्व का **कुल लगभग 10% क्षेत्रफल लवणीकरण से प्रभावित** है। इसमें भविष्य में **24-32% वृद्धि की आशंका** जताई गई है।
  - **सबसे अधिक प्रभावित देश:**
    - कुल क्षेत्रफल के मामले में **ऑस्ट्रेलिया लवणीकरण से सबसे अधिक प्रभावित** देश है। यहां **357 मिलियन हेक्टेयर भूमि** लवणीकरण से प्रभावित है।
    - **कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के मामले में ओमान** लवणीकरण से सबसे अधिक प्रभावित देश है। ओमान का **93.5 प्रतिशत** भू-क्षेत्र लवणीकरण से प्रभावित है।
- **भारत में लवणता से प्रभावित मृदा**
  - **कवरेज:** भारत का **लगभग 6.72 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र लवणीकरण से प्रभावित** है। यह **भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.1%** है।
  - **सबसे अधिक प्रभावित राज्य (क्षेत्रफल के अनुसार):** सबसे अधिक प्रभावित राज्य **गुजरात** है। उसके बाद **उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान** का स्थान है।
  - सिंचाई के लिए **खारे भूजल (Brackish groundwater) के उपयोग** के कारण भारत की **कुल सिंचित कृषि भूमि का लगभग 17% हिस्सा लवणीकरण** से प्रभावित है।
- **संधारणीय कृषि प्रबंधन पद्धतियां:**
  - लवणीकरण की समस्या से निपटने के लिए रिपोर्ट में संधारणीय कृषि प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने का सुझाव दिया गया है। **इनमें निम्नलिखित शामिल हैं-**
    - **मल्चिंग** अपनाना,
    - **लवण-सहिष्णु पादप किस्में** विकसित करना,
    - **बायोरिमेडिएशन तकनीक** अपनाना, आदि।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रथम 'भारत समुद्री विरासत सम्मेलन (IMHC), 2024' आयोजित किया गया

इस सम्मेलन की थीम थी-**"वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझना।"**

- इस सम्मेलन **में भारत की समुद्री उपलब्धियों और एक उभरती वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में इसकी आकांक्षाओं को प्रदर्शित** किया गया है।
  - ज्ञातव्य है कि मंत्रालय द्वारा **सागरमाला कार्यक्रम के तहत गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC)** का भी विकास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत की समुद्री विरासत को उजागर करना और विश्व के सबसे बड़े समुद्री विरासत परिसर का निर्माण करना है।

भारत की समुद्री विरासत पर एक नजर

- **प्रारंभिक काल (3000–2000 ईसा पूर्व): सिंधु घाटी सभ्यता का मेसोपोटामिया** के साथ समुद्री व्यापार होता था ।
- **वैदिक युग (2000–500 ईसा पूर्व): समुद्री गतिविधियों का सबसे प्रारंभिक संदर्भ ऋग्वेद** में मिलता है।
- **नंद और मौर्य युग (500-200 ईसा पूर्व):** मगध साम्राज्य की नौसेना को इतिहास में दर्ज दुनिया की पहली नौसेना माना जाता है।
  - **चाणक्य के अर्थशास्त्र में 'जलमार्ग विभाग' का** उल्लेख है।
- **सातवाहन राजवंश (200-220 ईसा पूर्व): ये जहाजों के प्रतीक चिन्ह वाले सिक्के** जारी करने वाले **पहले भारतीय शासक थे।**
- **गुप्त राजवंश (320-500 ईसा पूर्व): समुद्री नौवहन और समुद्री व्यापार** का उल्लेख चीनी यात्रियों **फाह्यान व ह्वेनसांग** की रचनाओं में मिलता है।
- **मराठा साम्राज्य:** शिवाजी के नेतृत्व में मराठा नौसेना 500 से अधिक जहाजों के साथ एक शक्तिशाली नौसेना बन गई थी।
- **दक्षिण भारतीय राजवंश:** इसमें चेरों के प्रसिद्ध बंदरगाह **टिंडिस** (वर्तमान पेरियापट्टनम, कोच्चि के पास) और **मुजिरिस** (वर्तमान पट्टनम, कोच्चि के पास) शामिल हैं।

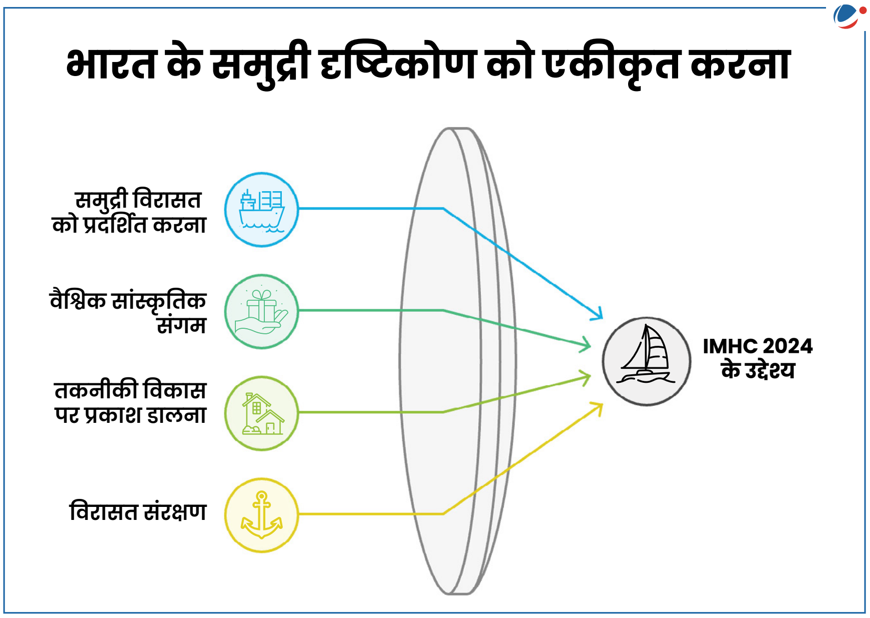

वित्त पर स्थायी समिति की रिपोर्ट में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) में प्रमुख सुधारों की सिफारिश की गई

रिपोर्ट में माना गया है कि IBC ने भारत में **संकटग्रस्त कॉर्पोरेट परिसंपत्तियों के समाधान में सुधार, क्रेडिट अनुशासन बढ़ाने और अनुत्पादक परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण प्रगति** की है। हालांकि, इसके बावजूद समिति ने IBC में लगातार कुछ **कमियां** देखी हैं, जो इसकी पूर्ण प्रभावशीलता में बाधक बनी हुई हैं।

IBC पर समिति द्वारा उजागर किए गए मुद्दे:

- समिति ने समाधान पेशेवरों (RPs) के **आचरण और सक्षमता पर सवाल** उठाए हैं।
- **सरकारी लेनदारों के दावों और हितधारक प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों पर स्पष्टता का अभाव है।**
- राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (NCLT) में **मामलों के पंजीकरण और न्यायनिर्णयन प्रक्रिया में लगातार देरी** देखी गई है।
    - समिति ने पाया कि **64% कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाएं (CIRP)** संहिता के तहत निर्धारित **330 दिन** की सीमा को पार कर चुकी हैं।

समिति की मुख्य सिफारिशों पर एक नजर

- उच्च प्राथमिकता वाले मामलों का **समयसीमा पर निपटान करने के लिए फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल्स की स्थापना** की जानी चाहिए। इसके अलावा, समय-संवेदनशील मामलों को प्राथमिकता देने के लिए एक **तत्काल सूची प्रणाली** अपनाई जानी चाहिए।
- **14 दिनों के भीतर आवेदनों की प्रोसेसिंग** को अनिवार्य करने के लिए संविधान के **अनुच्छेद 226(3) के समान प्रावधानों** को लागू करना चाहिए।
- निजीकृत सेवा केंद्रों की सफलता के आधार पर **न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल्स** का उपयोग करने की आवश्यकता है।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि **NCLT के सदस्यों के पास संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता** हो, जैसा कि **सुप्रीम कोर्ट ने फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज मामले** में निर्दिष्ट किया है।
- **सरकारी दावों, विशेष रूप से करों, जुर्माने आदि के समाधान के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार** करने चाहिए।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 के बारे में:

- **उद्देश्य:** कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के ऋण पुनर्गठन तथा दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समयबद्ध तरीके से समेकित व संशोधित करना है।
- **संहिता के चार स्तंभ है:**
    - **दिवाला पेशेवर (IPs):** वे दिवाला, परिसमापन और शोधन अक्षमता प्रक्रिया का प्रबंधन करते हैं।
    - **इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज (IU):** इनका काम ऋणदाताओं और ऋण देने की शर्तों के बारे में तथ्य जुटाना है।
    - **अधिनिर्णयन प्राधिकरण (AA):** इसमें कॉर्पोरेट दिवालियापन के लिए NCLT तथा व्यक्तिगत दिवालियापन के लिए ऋण वसूली अधिकरण (DRT) की स्थापना की गई है।
    - **भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI):** यह अलग-अलग प्रक्रियाओं के लिए विनियम निर्दिष्ट करने हेतु जिम्मेदार है।

लोक सभा ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया

इस विधेयक के जरिए **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन का प्रस्ताव** किया गया है।

- इस विधेयक का उद्देश्य **15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन को शामिल** करना है।

विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- **योजना की तैयारी:** आपदा से निपटने की योजना बनाने की जिम्मेदारियां **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** और **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMAs)** को सौंपी गई है। पहले ये जिम्मेदारियां **कार्यकारी समितियों** के पास थी।
- **NDMA और SDMAs के कार्यों का विस्तार:** इन्हें अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र में आपदा जोखिमों का आकलन करने, तकनीकी सहायता प्रदान करने, राहत संबंधी दिशा-निर्देशों की सिफारिश करने जैसे **अतिरिक्त कार्य** सौंपे गए हैं।
- **राष्ट्रीय और राज्य आपदा डेटाबेस:** इसमें आपदा **जोखिमों के प्रकार और गंभीरता, फंड का आवंटन** जैसी सूचनाएं होंगी।
- **शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण:** यह विधेयक राज्य सरकार को **राज्य की राजधानियों और नगर निगम वाले शहरों के लिए अलग से शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण** गठित करने का अधिकार देता है।
- **राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) का गठन:** यह विधेयक राज्य सरकार को **SDRF गठित करने तथा इसके कार्य और सेवा-शर्तें निर्धारित करने का अधिकार** देता है।
- **राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) और उच्च स्तरीय समिति (HLC):** विधेयक में **NCMC और HLC को वैधानिक दर्जा** प्रदान किया गया है।
    - NCMC **बड़ी आपदाओं के लिए नोडल संस्था** के रूप में कार्य करेगी। वहीं HLC **आपदाओं के दौरान राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान** करेगी।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में

- इस अधिनियम में **आपदा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित तीन-स्तरीय संरचना का प्रावधान** किया किया है:
    - **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA):** इसे **प्रधान मंत्री की अध्यक्षता** में गठित किया जाएगा। यह आपदा प्रबंधन के लिए **राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां और योजनाएं बनाने तथा दिशा-निर्देश तैयार करने** के लिए जिम्मेदार है।
    - **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA):** इसका अध्यक्ष संबंधित राज्य का **मुख्यमंत्री** होता है। यह राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
    - **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA):** इसे **जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता** में गठित किया जाएगा। यह **जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं को लागू करने** के लिए जिम्मेदार है।

अन्य सुर्ख़ियां

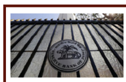

पेमेंट एग्रीगेटर

RBI ने जेपी-मॉर्गन समर्थित फिनटेक कंपनी **इन-सॉल्यूशंस ग्लोबल (ISG) को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की मंजूरी** दी।

पेमेंट एग्रीगेटर (PA) के बारे में:

- ये **थर्ड-पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स** होते हैं। ये **ग्राहकों द्वारा ऑनलाइन भुगतान तथा व्यवसायियों और ई-कॉमर्स द्वारा भुगतान स्वीकार** करने की सुविधा प्रदान करते हैं।
- पेमेंट एग्रीगेटर्स, **कंपनी अधिनियम, 1956/ 2013 के तहत भारत में पंजीकृत कंपनियां** होती हैं।
- ये वास्तव में भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाते हैं। इसके लिए वे जानकारी एकत्र करते हैं, पेमेंट प्रोसेस करते हैं और रिफंड मैनेज करते हैं। साथ ही, धोखाधड़ी का पता लगाते हैं और उसकी रोकथाम करते हैं।
- वे **डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेटबैंकिंग, UPI, ई-वॉलेट** आदि के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्रदान करते हैं।
- **नॉन-बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स को भुगतान व निपटान तंत्र अधिनियम, 2007 के तहत RBI से मंजूरी** की आवश्यकता होती है।
    - **बैंक-पेमेंट एग्रीगेटर्स को मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है।**

एल्गोरिदम ट्रेडिंग

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने **रिटेल निवेशकों को स्टॉक ब्रोकर के जरिए एल्गोरिदम ट्रेडिंग में भाग लेने की अनुमति देने के लिए एक फ्रेमवर्क का प्रस्ताव** किया है।

एल्गोरिदम ट्रेडिंग (स्वचालित ट्रेडिंग) के बारे में:

- इसमें ट्रेडिंग के लिए **कंप्यूटर प्रोग्राम** का उपयोग किया जाता है।
    - दरअसल इसमें पूर्व-निर्धारित निर्देशों का एक सेट या एल्गोरिदम कंप्यूटर प्रोग्राम में डाला जाता है। इस प्रोग्राम या इनपुट की शर्तें पूरी होने पर **स्वतः स्टॉक की खरीद-बिक्री** हो जाती है।

प्रस्तावित विनियामक फ्रेमवर्क के मुख्य प्रावधान:

- **स्टॉक ब्रोकर की भूमिका:** वह **सख्त नियमों के तहत एल्गो ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान करेगा।** इसके लिए दो स्तरों पर सत्यापन और यूनिक वेंडर-कीज़ (keys) की जरूरत पड़ेगी।
- **API का उपयोग:** अपने स्वयं के **एल्गोरिदम विकसित करने वाले रिटेल निवेशकों को पंजीकरण** कराना होगा। हालांकि, इसका उपयोग केवल उसके परिवार के सदस्य ही कर सकते हैं।
- **एल्गो सेवा प्रदान करने वालों की सूची तैयार करना:** इसके लिए **स्टॉक एक्सचेंज पात्रता तय** करेंगे और पैनल में शामिल एल्गो सेवा देने वालों पर **निगरानी रखेंगे।**
- **स्टॉक एक्सचेंज की जिम्मेदारियां:** एल्गोरिदम को **"व्हाइट-बॉक्स"** (पारदर्शी लॉजिक) या **"ब्लैक-बॉक्स"** (अपारदर्शी लॉजिक) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

रिस्ट्रिक्टेड रिटर्न इनविट्स/ InvITs (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट)

हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशक के फंड की सुरक्षा के लिए **रिस्ट्रिक्टेड रिटर्न इनविट (InvIT) फ्रेमवर्क** का प्रस्ताव किया है।

रिस्ट्रिक्टेड रिटर्न InvIT के बारे में

- यह **पारंपरिक InvIT से अलग** है। पारंपरिक InvIT में रिटर्न अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स की कीमतों में कमी व वृद्धि से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है।
    - वहीं रिस्ट्रिक्टेड रिटर्न InvIT मॉडल में, **रिटर्न की ऊपरी सीमा और फ्लोर प्राइस तय करके डाउनसाइड जोखिम को सीमित** किया गया है। इसका अर्थ है कि जोखिम को सीमित करके निवेशित फंड को सुरक्षा प्रदान की गई है।
- **डाउनसाइड प्रोटेक्शन:** यदि इनविट का रिटर्न न्यूनतम गारंटी से कम हो जाता है, तो **स्पोंसर्स को फंड उपलब्ध कराना होगा** ताकि यूनिट-धारकों को बेसलाइन यानी न्यूनतम रिटर्न मिल सके।
- **रिटर्न की ऊपरी सीमा:** यदि इनविट का रिटर्न एक सीमा से अधिक हो जाता है, तो उससे ऊपर की अतिरिक्त राशि स्पोंसर को मिलेगी।

सोलर माइक्रो हाइड्रोपावर

मणिपुर का हेंगबंग गांव माइक्रो सोलर पंप्ड स्टोरेज सुविधा के जरिए 24/7 बिजली प्राप्त कर रहा है।

सोलर माइक्रो हाइड्रोपावर के बारे में

- इसमें उच्च सौर विकिरण के दौरान **निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय तक जल पंप करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग** किया जाता है।
- जब कभी **सौर ऊर्जा अनुपलब्ध** (रात के समय) हो तो इस संग्रहीत जल को **माइक्रो-हाइड्रो टरबाइन के माध्यम से छोड़ा** जा सकता है, जिससे **बिजली उत्पन्न** होती है।
- **मुख्य लाभ:** ग्रिड स्थिरता, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, आदि।

निएंडरथल

अब तक **अनुक्रमित सबसे पुराने होमो सेपियन्स DNA के विश्लेषण से लगभग 50,000 साल पहले होमो सेपियन्स और निएंडरथल के बीच इंटर-ब्रीडिंग** का पता चलता है।

- निएंडरथल के कुछ जीन मनुष्यों में अधिक दिखाई देते हैं। यह प्रवृत्ति मानव के जीवित रहने में इन जींस के महत्त्व का सुझाव देती है। जैसे- **कुछ लोगों में कोरोना वायरस के खिलाफ अधिक प्रतिरक्षा, त्वचा का रंग बदलना** आदि।
- आज अधिकतर लोगों में निएंडरथल से विरासत में मिले जीन हैं। यह **जीन उनके डीएनए का लगभग 1-2%** है।

निएंडरथल (होमो निएंडरथेलेंसिस) के बारे में

- वे होमो सेपियन्स के निकट-संबंधी मानव प्रजाति थे। वे विलुप्त हो चुके हैं। वे कुछ अवधि के लिए **आधुनिक मानव के पूर्वजों के समकालीन** थे।
- वे **लगभग 400,000 से 39,000 साल पहले यूरोप और दक्षिण-पश्चिम एवं मध्य एशिया** में रहते थे।
- **शारीरिक विशेषताएं:** बड़ी नाक, भारी दोहरी-धनुषाकार भौंह रिज, अपेक्षाकृत छोटा शरीर आदि।

डार्क ईगल एंटी-मिसाइल सिस्टम

हाल ही में, **संयुक्त राज्य अमेरिका** ने नए डार्क ईगल एंटी-मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

डार्क ईगल एंटी-मिसाइल सिस्टम के बारे में:

- यह **लॉन्ग-रेंज हाइपरसोनिक वेपन (LRHW)** है।
- इसे **अमेरिकी थल सेना और नौसेना ने संयुक्त रूप से विकसित** किया है।
- इसमें **ग्लाइडिंग हाइपरसोनिक वारहेड (C-HGB)** से लैस दो-चरणीय **बैलिस्टिक मिसाइल** है। यह **मैक-17** तक की गति से उड़ान भरने में सक्षम है।
    - **मैक ध्वनि की गति से जुड़ा हुआ है।** मैक-5 और उससे अधिक की गति को **हाइपरसोनिक** माना जाता है।
- इसे रूस के **S-300V4, S-400 और S-500 वायु सुरक्षा प्रणालियों की क्षमताओं को चुनौती देने और उनसे अधिक क्षमता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन** किया गया है।

पर्सीवरेंस रोवर

हाल ही में, नासा के **पर्सीवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर जेजेरो क्रेटर रिम के शीर्ष पर चढ़कर उपलब्धि** हासिल की है।

- अब यह रोवर **उन चट्टानों (प्रारंभिक क्रस्ट के खंड) तक पहुंच पाएगा, जो क्षुद्रग्रहों के मंगल की सतह से टकराने** से बहुत पहले अपने वर्तमान वाले स्वरूप में थीं।

मार्स 2020 पर्सीवरेंस रोवर के बारे में:

- **उद्देश्य:** मंगल ग्रह पर आरंभिक जीवन की उत्पत्ति का पता लगाना तथा पृथ्वी पर अपनी संभावित वापसी के लिए चट्टान व रेगोलिथ (खंडित चट्टान और मृदा) के नमूने एकत्र करना।
- **ऊर्जा का स्रोत:** इसमें एक **रेडियोआइसोटोप पावर सिस्टम (RPS)** लगा हुआ है। यह सिस्टम **प्लूटोनियम-238 के रेडियोधर्मी क्षय की ऊष्मा का ईंधन** के रूप में उपयोग करता है। इस प्रकार, एक भरोसेमंद विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है।
- **लक्ष्य:** मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर अन्वेषण करना।
- **पर्सीवरेंस रोवर पर उपकरण** (इन्फोग्राफिक देखें)

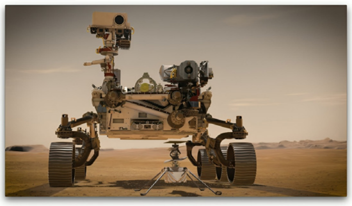

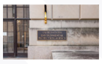

ट्राइक्लोरोएथिलीन और पर्क्लोरोएथिलीन

US EPA ने ट्राइक्लोरोएथिलीन और पर्क्लोरोएथिलीन के **निर्माण, प्रसंस्करण एवं उपयोग पर अंतिम प्रतिबंध की घोषणा** की।

ट्राइक्लोरोएथिलीन और पर्क्लोरोएथिलीन के बारे में:

- ये दोनों **स्टेन रिमूवर, डिग्रीजर (ग्रीज़ हटाने वाला यौगिक) और ड्राई क्लीनिंग सहित कई औद्योगिक प्रक्रियाओं** में उपयोग किए जाने वाले विषाक्त रसायन हैं।
    - ये दोनों महत्वपूर्ण औद्योगिक उपयोगिता वाले **वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs) हैं,** परन्तु इनके पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों के कारण चिंताएं उत्पन्न होती हैं।
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव: ये किडनी के कैंसर, नॉन-हॉजकिन लिंफोमा, हृदय संबंधी दोष और मूत्राशय कैंसर** जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

ईरान (राजधानी: तेहरान)

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के अनुसार ईरान ने **फोर्डो संवर्धन संयंत्र की अधिक निगरानी के लिए सहमति प्रकट** कर दी है।

ईरान के बारे में

- **भौगोलिक अवस्थिति:**
    - ईरान **पश्चिम एशिया** में अवस्थित है।
    - **भूमि सीमाएं:** इसकी सीमाएं उत्तर में **आर्मेनिया व अज़रबैजान,** उत्तर-पूर्व में **तुर्कमेनिस्तान,** पूर्व में **अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान,** पश्चिम में **इराक** तथा **उत्तर-पश्चिम में तुर्की** से लगती हैं।
    - **समुद्री सीमाएं:** बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर और सऊदी अरब से लगती हैं।
    - **आसपास के जल निकाय:** कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी।
- **भौगोलिक विशेषताएं:**
    - **जलवायु:** यहां शुष्क और अर्ध-शुष्क से लेकर उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का विस्तार है।
    - **सबसे ऊंची चोटी:** अल्बुर्ज पर्वत श्रृंखला में माउंट दमावंद। यह मध्य पूर्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी है।
    - **प्रमुख नदियां:** डेज, कारखेह, करुण, दियाला आदि।
    - **प्राकृतिक संसाधन:** तेल व प्राकृतिक गैस, कोयला, क्रोमियम, तांबा, लौह अयस्क, सीसा, मैंगनीज, जस्ता और सल्फर।